

## कार्यालय

## जिलाधिकारी

## बुलन्दशहर।

पत्रांक: २७

/न्याय सहायक/ कोरोना वायरस/ 2021

दिनांक: 04.01.2021

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी०एक्स-३ दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत् निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ०प्र०शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी०एक्स-३ दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट

जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सी०एक्स-३ दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमत्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कार्ड्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकान, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाइन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिह्नित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्त पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवशकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शर्त निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई०/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमत्य गतिविधियाँ (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-३४/2021 दिनांक 04.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बढ़ी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 67 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 17-आवास विकास प्रथम (एच०एफ०एस/एस०एफ०एच०) नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ० इन्दिरा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गांव चांदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्क्लेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० सूर्या नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी० ब्लॉक यमुनापुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी-८५, गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शक्ति नगर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० नजीमपुरा भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 50 हॉटस्पॉट-एन०ए०पी०एस० टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालौनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, मौ० जाटवान, कस्बा व विंख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, दारा सिंह की मढ़ैया, कस्बा व विंख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, ग्राम सतोहा,

ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੁ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

卷之三

卷之三

ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਸਾਡੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ।

— 1 —

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जनवरी 04, 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेप्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।  
अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर